न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना,आई.ए.एस.

अपील संख्या : 4/2013 आर्म्स एक्ट

अनवानी :– भगवानाराम पुत्र श्री राजेराम जाति जोगी निवासी तारानगर जिला चूरु।

——— अपीलांट

–– बनाम ––

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला मजिस्ट्रेट, चूरु

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री चतुर्भज शर्मा सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 20.11.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 7.10.11 जिसके द्वारा अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 154–I–DM Hisar के नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट श्री भगवानाराम पुत्र श्री राजाराम के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 154–I–DM Hisar जो जिला मजिस्ट्रेट, हिसार द्वारा जारीशुदा है, जिस पर शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 14042–88 दर्ज है, जो दिनांक 12.1.10 तक नवीनीकृत बताया है। उक्त लाईसेंस का अवधि दिनांक 16.4.09 से 12.1.10 तक नवीनीकरण किये जाने हेतु अपीलांट ने दिनांक 21.12.10 को कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, चूरु एवं उपखण्ड मिजिस्ट्रेट, तारानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरु द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 2101 दिनांक 11.4.11 में अवगत कराया कि प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है । उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तारानगर ने रिपोर्ट क्रमांक 2304 दिनांक 1.3.11 में बताया कि अपीलान्ट वर्तमान में गत 12 वर्षो से तारानगर कस्बा में स्थाई निवास करता है । पिछला नवीनीकरण हरियाणा राज्य के हिसार से करना बताय, जहां जमीन जायदाद है । तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा जिलाधीश हिसार से प्राप्त रिपोर्ट दिनाक 29.12.10 प्रस्तुत की गयी, जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

लाइसेंस सं0 154–I–DM Hisar दिनांक 12.1.95 तक वैद्य होना बताया । इस पर जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा आदेश क्रमांक प.21(1)( )न्याय/2010 दिनांक 7.10.11 द्वारा अपीलान्ट को यह सूचित किया गया कि आप द्वारा नवीनीकरण आवेदन पत्र दिनांक 21.12.10 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जो वैद्य अवधि में प्रस्तुत नहीं करने से आपका शस्त्र दर्ज नहीं किया जा सकता । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा अपीलान्ट को प्रेषित किये गये उक्त आदेश 7.10.11 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा मियाद बिन्दु पर बहस सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । वरवक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित रहे हैं । अतः राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी भगवानाराम द्वारा अपील में मुख्य रुप से यह आधार लिया है कि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र जिला कलक्टर, हिसार से दिनांक 12.1.10 तक नवीनीकृत किया हुआ है । इसके बाद का नवीनीकरण उनके द्वारा नहीं किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष आवेदन किया, जिसमें 11 माह का समय लग गया । प्रार्थी अपीलान्ट के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, चूरु से प्राप्त रिपोर्ट में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है । प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 7.10.11 की जानकारी प्रथम बार दिनांक 5.2.13 को जिलाधीश कार्यालय से हुई तब दिनांक 6.2.13 को नकल प्राप्त कर दिनांक 22.2.13 को यह अपील प्रस्तुत कर दी गयी है अतः अपील मियाद में सुमार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 7.10.11 निरस्त फरमाया जावे ।

5. राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 12.1.10 तक नवीनीकृत होना कथन किया है । जबकि जिलाधीश हिसार (हरियाणा) से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदक का शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 12.1.95 तक वैद्य होना बताया है । अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष अवधि 16.4.09 से 12.1.10 तक नवीनीकरण हेतु दिनांक 21.12.10 को आवदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है एवम् वैद्यता अवधि में नहीं है । इसी आधार पर जिला मजिस्ट्रेट चूरु द्वारा अपीलान्ट का नवीनीकरण आवेदन पत्र खारिज किया गया है । अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.10.11 के विरुध्द इस न्यायालय में दिनांक 22.2.13 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जो मियाद बाहर है। अतः अपील अपीलार्थी मियाद बिन्दु एवं मैरिट पर निरस्त फरमाई जावे ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने राज्य पक्ष के विद्वान सहायक लोक अभियोजक की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 7.10.2011 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 22.2.2013 को 471 दिवस की देरी से प्रस्तुत की गयी है । उक्त देरी के सम्बन्ध में अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 5.2.13 को होने पर दिनांक 6.2.13 को नकल प्राप्त की गयी तथा जानकारी से निर्धारित मियाद अवधि में अपील प्रस्तुत की गयी है । नियमानुसार अपील दाखिल करने की परिसीमा तब प्रारम्भ होती है, जब शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण निरस्त होने का सूचना अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान की जाती है । प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.10. 2011 पारित कर प्रार्थी अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की सूचना पत्र कमांक प.21(1)()न्याय/2010 दिनांक 7.10.11 द्वारा जरिये डाक प्रेषित की गयी है। प्रकरण अनुसार शस्त्र अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने हेतु एक माह की समयावधि निर्धारित की हुई है, जबकि अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील 471 दिवस देरी से प्रस्तुत की गयी है । जिला मजिस्ट्रेट चूरु द्वारा अपीलान्ट के निवास पते पर दिनांक 7.10.11 को ही अपीलाधीन आदेश की प्रतिलिपि भिजवाई जानी पाई जाती है । इस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.10.11 के विरुध्द इस न्यायालय में दिनांक 22.2.2013 को यह अपील 471 दिन देरी से प्रस्तुत की गयी है, जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। मियाद के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा धारा–5 के प्रार्थना पत्र में जो कारण दर्शाया गया गया है, वह सन्तोषजनक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रार्थना पत्र में प्रतिदिन देरी का कारण नहीं दर्शाया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की यह अपील मियाद में शुमार नहीं की जा सकती है एवम् अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.10 को जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 12.1.10 तक नवीनीकृत होना कथन किया है । जबकि जिलाधीश हिसार (हरियाणा) से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदक का शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 12.1.95 तक वैद्य होना बताया है । अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु दिनांक 21.12.10 को आवदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 11 माह 9 दिवस का विलम्ब बताया है । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा से प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र वैद्यता अवधि में नहीं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12.1.10 तक शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकृत होना बताया है, जबकि शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 12.1.10 तक नवीनीकृत होने के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, चूरु एवं इस न्यायालय में कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 21.12.10 को प्रस्तुत किया गया, जो कि वैद्य अवधि में नहीं है एवम् इसी आधार पर जिला मजिस्ट्रेट चूरु द्वारा अपीलान्ट का नवीनीकरण आवेदन पत्र अपीलाधीन आदेश से खारिज किया गया है । ऐसी स्थिति में हम जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

7. उपरोक्त विवेचना के अनुसार यह अपील अपीलान्ट न केवल मियाद बिन्दु अपितु गुणावगुण पर भी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु का अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.10.11 यथावत रखा जाता है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे । निर्णय आज दिनांक 20.11.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर